



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-138 / 2020
दिनांक : 16.07.2020

कार्यालयादेश

सूचना क्रमांक 003 / 2003 / का.आ. / 02-117 / 2020 दिनांक 01.06.2020 के माध्यम से विश्वविद्यालय में नागपुर, पुलगाव, धामणगाव, हिंगणघाट तथा अन्य शहरों से रोज़ाना यात्रा कर कार्यालय / विभाग में आनेवाले अधिकारियों / कर्मियों को सूचित गया था कि वे कार्यालय / विभाग में उपस्थित होने के लिए वर्धा शहर में ही रहने की व्यवस्था करें। साथ ही यह भी सूचित किया गया था कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिये लोक वाहन (Public Transport) का उपयोग न करें।

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमितों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मियों को अगले आदेश तक अपरिहार्य कारणों को छोड़कर किसी भी स्थिति में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 16/07/2020

प्रति (ईमेल द्वारा): सभी अध्यापक, अधिकारी, कर्मि

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. प्रभारी, दूर शिक्षा निदेशालय
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली